# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

निगरानी / एक / 2017

1–शरीफ मोहम्मद पुत्र बादुल्ला

2–मुस्ताक मोहम्मद पुत्र शरीफ मोहम्मद

निवासीगण कस्बा श्योपुर म.प्र.

............निगरानीकर्ता

बनाम

1–म.प्र.शासन जर्ये कलेक्टर श्योपुर

2–अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर

...........गैरनिगरानीकर्तागण

**आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भूरा.सं.1959 विरूद्व कलेक्टर श्योपुर के प्र.कं. 4/2010–11/अपील राजस्व में पारित आदेश दिनांक 01.05.12 एवं अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्र.क. 03/10–11/170ख में पारित आदेश दिनांक 03.03.11 से व्यथीत होकर।**

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

**निगरानी का संक्षिप्त विवरण :–**

यह कि निगरानीकर्तागण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम मयापुर जिला श्योपुर में भूमि सर्वे कं. 216/2 संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जो कि नायब तहसीलदार वृत–गोरस के प्र.कं. 21/96–97/अ–86 में पारित आदेश दिनांक 30.09.97 को विधिवत व्यवस्थापन से प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि पर तब से लेकर आज दिनांक तक निगरानीकर्तागण का ही स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है एवं निगरानीकर्तागण द्वारा ही कृषि कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा आवेदकगण के विरूद्व धारा 170ख के तहत कार्यवाही की गई जिसमें आवेदकगण का व्यवस्थापन निरस्त करते हुए भूमि फूला पुत्र सूखी जाति सहर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्तागणा ने एक अपील न्यायालय कलेक्टर महोदय श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे कलेक्टर

कमंश:............2

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/586/एक/2017 — जिला–श्योपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 7-2-17 | यह निगरानी आवेदकगण द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 04/2010–11/अपील राजस्व में पारित आदेश दिनांक 01–05–2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 03/10–11/170ख में पारित आदेश 03–03–2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।<br><br>2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदकगण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम मायापुर तहसील व जिला श्योपुर में भूमि सर्वे क्रमांक 216/02 पर स्थित है जो कि आवेदकगण को नायब तहसीलदार वृत्त गोरस के प्रकरण क्रमांक 21/96–97 अ–86 में पारित आदेश दिनांक 30–09–1997 से व्यवस्थापन किये जाने से प्राप्त हुई थी। तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर आवेदकगण का कब्जा है तथा आवेदकगण ही उक्त भूमि पर कास्त करते चले आ रहे हैं। वर्ष 2010–11 में अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 03/10–11/170ख के तहत आवेदकगणों पर कार्यवाही की गई एवं दिनांक 03–03–2011 को आवेदकगणों के पक्ष में किया गया व्यवस्थापन निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्तागण ने एक अपील कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जिसे की कलेक्टर द्वारा सारहीन मानते हुये दिनांक 01–05–2012 को निरस्त कर दिया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसका आज निराकरण किया जा रहा है। | |

3– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के पक्ष सुने तथा आवेदकगण की ओर से उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। निगरानी के साथ धारा–5 अवधि विधान का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आलौच्य आदेश की जानकारी अभिभाषक द्वारा नियत समय में प्रदाय ना करना एवं पटवारी द्वारा अत्यधिक विलम्ब से बताया जाना दर्शाया गया है उक्त कारण उचित होने से सदभावना के आधार पर निगरानी को अंदरअवधि मान्य किया गया।

4– आवेदकगणों के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया की वादित भूमि का बंटन नायब तहसीलदार गोरस द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 21/96–97/अ–86 से आवेदकगण को वर्ष 1997 में किया गया था। जिसके विरूद्व लगभग 15 वर्ष बाद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 170ख के तहत कार्यवाही की गई जो कि अनुचित है क्योंकि संहिता की धारा 170ख के प्रावधान अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि पर लागु होते है जिसके अंतरण विरूद्ध संहिता की धारा 170ख के तहत कार्यवाही की जा सकती है परन्तु वर्तमान प्रकरण में आवेदकगणों को भूमि शासन से प्राप्त हुई थी ना कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है आवेदक के अभिभाषक का यह भी तर्क भी है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियेां का पट्टे की शर्ते पुरी न होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 52/95–96/आदेश दिनांक 27–07–1996 से निरस्त किया जा चुका था। उसके उपरान्त आवेदकगण को विधिवत् पट्टा नायब तहसीलदार गोरस के द्वारा किये गये थे ऐसी स्थिति में

| | | |
|---|---|---|
| | अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है उपरोक्त तथ्यों के समर्थन में उनके द्वारा न्याय दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये और अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।<br><br>5— मध्यप्रदेश शासन के शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया।<br><br>6— उभयपक्षों के अभिभाषक द्वारा किये गये तर्कों एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के पक्ष में आवंटन वर्ष 1997 में किया गया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 15 वर्ष पश्चात संहिता की धारा 170ख के तहत कार्यवाही करते हुये निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध आवेदकगणों द्वारा कलेक्टर श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। परन्तु कलेक्टर श्योपुर द्वारा आवेदकगणों की अपील सारहीन मानते हुये निरस्त कर दी गई। प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वादित भूमि पर संहिता की धारा 170ख के प्रावधान लागु होते हैं या नहीं क्योंकि यदि भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की है तो बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के अंतरण नहीं किया जा सकता। परन्तु प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि शासन की भूमि थी। क्योंकि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का पट्टा आवेदकगणों को किये गये व्यवस्थापन से पूर्व ही अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 52/95—96/अ—86 आदेश दिनांक 27—07—1996 से निरस्त किया जा चुका था। उसके उपरान्त वादित भूमि का व्यवस्थापन नायब तहसीलदार गोरस द्वारा आवेदकगण के पक्ष में किया गया था। वादित भूमि का अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से कोई सबंध ही नहीं था। ऐसी स्थिति में अनुसूचित | |

जनजाति के व्यक्तियों की भूमि मानते हुये संहिता की धारा 170ख के तहत कार्यवाही करते हुये व्यवस्थापन निरस्त किया गया है वह कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है इस संबंध में माननीय उच्च **न्यायालय** का न्याय दृष्टांत **"रिट याचिका क्रमांक 8055, 2808, 4237, 4238, 4239, 5052, 5200, 5257, 5846, 6610, 7962, 7964, तथा 8064 सन् 2011 तथा 1193, 1416 तथा 1437, सन् 2012 आदेश दिनांक 09–05–2012 आर.एन. 2013/62 अवलोकनीय है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आदिम जनजाति का पट्टा रद्द किया गया–भूमि सरकार की भूमि के रूप में अभिलिखित हुई बाद में ऐसी भूमि का याची के पक्ष में पट्टा हुआ–नवीन पट्टा प्रदान करना आदिम जनजाति तथा गैर आदिम जनजाति के बीच में अंतरण का संव्यवहार नही है – धारा 170–क तथा 170–ख के उपबंध आकर्षित नहीं होते"** ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं वह विधि व विधान के प्रतिकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर श्योपुर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 04/2010–11/अपील राजस्व में पारित आदेश दिनांक 01–05–2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 03/2010–11/170–ख में पारित आदेश दिनांक 03–03–2011 अवैधानिक होने से निरस्त किये जाते है तथा आवेदकगण का नाम ग्राम मायापुर की भूमि सर्वे क्रमांक 216/02 के राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी के रूप अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार श्योपुर को दिये जाते है।

(एम०के० सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर